N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0255 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 08/11/2024 18:47 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 02/08/2024 **Date To (दिनांक तक):** 09/09/2024

      Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 13:30 बजे **Time To (समय तक):** 12:20 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 08/11/2024 **Time (समय):** 16:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 003 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 08/11/2024 18:47:35 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH-EAST, 340 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

      (b)**Address(पता):** KARYALYA NAGAR PARISHAD, DISTRICT JHALAWAR

      (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

      Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**
   (a) **Name(नाम):** RINKU
   (b) **Father's Name (पिता का नाम):** AHSAN MOHAMMD
   (c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 01/01/1995 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA
   (e) **UID No(यूआईडी सं.):**
   (f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
   Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**
   (g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

   (h) **Occupation (व्यवसाय):**
   (i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	WARD NO 13, JAIL ROAD EMAM SAGAR KOTHARI BHAVAN KE PICHHE, RAMDWARA GALI, JHALAWAR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	WARD NO 13, JAIL ROAD EMAM SAGAR KOTHARI BHAVAN KE PICHHE, RAMDWARA GALI, JHALAWAR, RAJASTHAN, INDIA

   (j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**
   Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	SITA KUMARI		पिता:PURANMAL	1. P.G COLLAGE KE PICHHE,KUMHAR MOHALLA,JHALAWAR,RAJAST

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**
9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		3,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 3,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, हालात घटना क्रम इस प्रकार है कि दिनांक 02.08.2024 को ब्यूरो मुख्यालय, जयपुर की हेल्प लाईन नम्बर 1064 से कॉल कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत करवाया गया कि परिवादी श्री रिंकू के मोबाईल नम्बर [redacted] पर बात कर कार्यवाही करें। इस पर उक्त मोबाईल नम्बर पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा बातचीत कर परिवादी को कार्यालय में तलब किया गया। इस पर दो व्यक्ति कार्यालय में उपस्थित आये, जिनसे परिचिय प्राप्त करने पर एक ने अपना नाम रिंकू व दूसरे ने अपना नाम मोहम्मद शोराब उर्फ होना बताया तथा परिवादी श्री रिंकू पुत्र श्री अहसान मोहम्मद जाति मुसलमान उम्र 29 साल निवासी जेल रोड इमाम सागर कोठारी भवन के पीछे रामद्वारा गली वार्ड नम्बर 13, झालावाड़ (राज0) ने अपने फुफेरे भाई श्री मोहम्मद शोराब के ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ में उपस्थित ने एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र मय स्वप्रमाणित आधार कार्ड की फोटोप्रतियां मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष पेश की। परिवादी श्री रिंकू के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया। परिवादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त तथ्य सही होना तथा प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा अपने हस्तलेख में लिखा जाकर उस पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया है तथा परिवादी श्री रिंकू ने मजमून दरियाफ्त पर बताया कि, मेरी शादी दिनांक 03.03.2024 को हुई है, जिसका मेरिज सर्टिफिकेट बनाना था। मेरिज सर्टिफिकेट बनवाने हेतु कागजात की फाईल तैयार कर दिनांक 31.07.2024 को मैं अपने फुफेरे भाई श्री मोहम्मद शोराम उर्फ मोनू को साथ लेकर नगर परिषद, झालावाड़ पहुंचा, जहां काउंटर पर एक महिला बैठी हुई थी, जिनको मैंने मेरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए मेरी फाईल दी। उन्होने मेरी फाईल लेकर 250 रूपये की रसीद काटकर मुझे दी और कहा कि आपका मैरिज सर्टिफिकेट सोमवार तक तैयार हो जायेगा, उसके लिए कुछ रूपये देने होगें। इस पर मेरे फुफेरे भाई श्री मोहम्मद शोराब ने कहा कि मैं आपको रूपये दिलवा दूंगा वह मेरे फुफेरे भाई को पहले से जानती थी। इस पर हम वहाँ से रवाना होकर आ गये थे। श्रीमती सीता कुमारी कनिष्ठ सहायक जो मेरे फुफेरे भाई को जानती थी, उसने अगले दिन मेरे फुफेरे भाई श्री मोहम्मद शोराब को फोन कर कहा कि श्री रिंकू के मेरिज सर्टिफिकेट के 3,000रूपये लगेगें, रूपये आप ही लेकर आना। यह बात मेरे फुफेरे भाई श्री मोहम्मद शोराब ने मुझे बतायी है। मैं अपने जायज काम के श्रीमती सीता कुमारी कनिष्ठ सहायक को 3,000रूपये रिश्वत के नहीं देना चाहता हूँ। मेरी श्रीमती सीता कुमारी से कोई पुरानी रंजिश एवं उधारी बाकी नहीं है। मेरे उक्त प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही करने की कृपा करें। परिवादी श्री रिंकू द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र व मजमून दरियाफ्त से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) की धारा 7 की परिधि में आना पाया जाने पर समय 02.20 पीएम पर श्री भोजराज सहायक उप निरीक्षक मालखाना प्रभारी से मालखाना में रखे हुए ब्यूरो कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को निकलवाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा चेक किया जाकर उसमें मेमोरी कार्ड (SanDisk Ultra 32GB micro U1 SD HC I C10 A1 2376TXC3K0H5 BM MADE IN TAIWAN) डालकर परिवादी श्री रिंकू को चालू बन्द करने की विधिवत् प्रक्रिया ऑपरेटिंग करना भलीभांति समझाकर सुपुर्द कर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन के क्रम में परिवादी श्री रिंकू को आरोपिया श्रीमती सीता कुमारी कनिष्ठ सहायक से रिश्वत मांग की वार्ता करने हेतु तथा वार्ता को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करने हेतु कार्यालय के श्री देवदान सिंह कानि0 नं0 425 को परिवादी के साथ निगरानी हेतु अपनी-अपनी मोटरसाईकिलों से आवश्यक हिदायत देकर कार्यालय नगर परिषद, झालावाड़ के लिए रवाना किया गया। रवानगी से पूर्व फर्द सुपुर्दगी डिजिटल वाईस रिकॉर्डर पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 03.20 पीएम पर परिवादी श्री रिंकू व श्री देवदान सिंह कानि0 नं0 425 ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये। परिवादी श्री रिंकू द्वारा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड (SanDisk Ultra 32GB micro U1 SD HC I C10 A1 2376TXC3K0H5 BM MADE IN TAIWAN) पेश किया। परिवादी श्री रिंकू से रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप होने के बारे में पूछने पर परिवादी ने रूबरू श्री देवदान सिंह कानि0 के समक्ष बताया कि आपके निर्देशानुसार हम दोनों अपनी-अपनी मोटरसाईकिल से रवाना होकर कार्यालय नगर परिषद झालावाड़ से कुछ दूरी पर रूके। मैं डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर अपनी मोटरसाईकिल से रवाना हुआ तथा मेरे पीछे-पीछे श्री देवदान सिंह जी भी अपनी मोटर साईकिल से रवाना हुए। कार्यालय नगर परिषद झालावाड़ के सामने पहुंचकर मैंने अपनी मोटरसाईकिल खडी कर नगर परिषद कार्यालय में प्रवेश किया तथा श्री देवदान सिंह जी भी अपनी मोटरसाईकिल खडी कर नगर परिषद परिसर में प्रवेश कर अपनी उपस्थिति छुपाते हुए मुझ पर नजर

रखे हुए थे। मैंने वहां उपस्थित एक कर्मचारी से श्रीमती सीता कुमारी कनिष्ठ सहायक के बारे में पूछा तो उसने बताया कि मैडम साईड वाले रूम में बैठती है, इस पर मैं साईड वाले कमरे में पहुंचा, तो वहां सीता मैडम बैठी हुई थी। मैंने मेरे मैरिज सर्टिफिकेट के सम्बंध में बातचीत कर उनसे कहा कि आपने 3,000 रूपये की कहा है, उसमें से 500 रूपये कम कर लो। इस पर सीता मेडम ने कहा रूक जाओ मैं मोनू भैया से बात कर लेती हूं तथा अपने मोबाईल से मोनू के मोबाईल पर कॉल कर बात करने लगी तथा बाद में मेरे से कहा मैं ऑफिस में बात नहीं कर सकती सर आयेगें तब सबसे पहले तुम्हारा काम कर दूंगी । जिस पर मैंने कहा कि 2500 रूपये में हो जायेगा ना काम इस पर सीता मेडम ने कहा मैं मोनू के पास आ जाउंगी ठीक है, आप जाओ मैं मोनू भैया के पास पहुंचा दूंगी आपका काम और कहा कि शाम को आती हूं। सीता मेडम ने मुझसे रिश्वत राशि लेने के सम्बंध में स्पष्ट वार्ता नहीं की है। वह मेरे फुफेरे भाई श्री मोहम्मद शोराब उर्फ मोनू को जानती है तथा वह उनसे ही रूपये लेगी व मेरा मैरिज सर्टिफिकेट भी उनको ही देगी। इस पर श्री देवदान सिंह कानि0 नं0 425 से पूछने पर उसने बताया कि मैं कार्यालय नगर परिषद, झालावाड़ परिसर में अपनी उपस्थिति छुपाकर दूर से परिवादी को देख रहा था, वह एक कमरे में एक महिला से बातचीत कर रहा था। परिवादी वहां से रवाना होकर नगर परिषद के बाहर मेरे पास आया, डिजिटल वाईस रिकॉर्डर बन्द कर अपनी जेब में रखा और उसने मुझे सारा वार्तांत बताया। इस पर वहां से रवाना होकर अपनी-अपनी मोटरसाईकिलों से कार्यालय आये। इस पर डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को चलाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा सुना गया तो वार्ताओं में परिवादी के कथनों की पुष्टि हुई है। आरोपिया श्रीमती सीता कुमारी कनिष्ठ सहायक ने परिवादी श्री रिंकू से रिश्वत मांग के सम्बंध में स्पष्ट वार्ता नहीं की है तथा परिवादी के फुफेरे भाई श्री मोहम्मद शोराब उर्फ मोनू से ही रिश्वत लेने की कहा है व उसका मैरिज सर्टिफिकेट भी मोनू को ही देने के लिए कहा है। इस पर परिवादी को निर्देशित किया गया कि वह अपने फुफेरे भाई श्री मोहम्मद शोराब उर्फ मोनू को साथ लेकर कार्यालय में आये तथा उसको साथ ले जाकर रिश्वत मांग का स्पष्ट गोपनीय सत्यापन करवावें तथा परिवादी को अब तक की कार्यवाही के सम्बंध में गोपनीयता बरतने की हिदायत दी गई तथा फर्द प्राप्ति डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मुर्तिब कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर परिवादी को रूखसत किया गया। परिवादी श्री रिंकू द्वारा रिश्वत राशि मांग सत्यापन सम्बंधी रिकॉर्डेड डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड सुपुर्द शुदा को श्री भोजराज सउनि को बुलाकर सुपुर्द कर सुरक्षित मालखाना में रखने की हिदायत दी गई। दिनांक 03.08.2024 समय 10.45 एएम पर परिवादी रिंकू एवं उसका फुफेरे भाई श्री मोहम्मद शोराब उर्फ कार्यालय में उपस्थित आये एवं परिवादी श्री रिंकू ने बताया कि श्रीमती सीता कुमारी कनिष्ठ सहायक ने मोनू को मोबाईल पर कॉल कर रूपये लेकर उसके किराये के मकान जैल रोड़ के पास स्थित पर बुलाया है। इस पर श्री भोजराज सहायक उप निरीक्षक मालखाना प्रभारी से मालखाना में रखे हुए ब्यूरो कार्यालय के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को निकलवाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा चेक किया जाकर उसमें मेमोरी कार्ड (SanDisk Ultra 32GB micro U1 SD HC I C10 A1 2376TXC3K0H5 BM MADE IN TAIWAN) चेक कर परिवादी श्री रिंकू को चालू बन्द करने की विधिवत् प्रक्रिया ऑपरेटिंग करना भलीभांति समझाकर सुपुर्द कर हिदायत की गई कि अभी आरोपिया को रिश्वत नही देकर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाना है। अतः परिवादी श्री रिंकू व सह परिवादी मोनू को आरोपिया श्रीमती सीता कुमारी कनिष्ठ सहायक से रिश्वत की स्पष्ट मांग की वार्ता करने तथा वार्ता को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करने हेतु कार्यालय के श्री देवदान सिंह कानि0 नं0 425 को परिवादी व सह परिवादी के साथ उनकी निगरानी हेतु अपनी-अपनी मोटरसाईकिलों से आवश्यक हिदायत देकर आरोपिया श्रीमती सीता कुमारी कनिष्ठ सहायक के पास उसके किराये के मकान जैल रोड़ स्थित के लिए रवाना किया गया। रवानगी से पूर्व फर्द सुपुर्दगी डिजिटल वाईस रिकॉर्डर पृथक से मुर्तिब कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये थे। समय 12.05 पीएम पर परिवादी श्री रिंकू व उसका फुफेरे भाई श्री मोहम्मद शोराब उर्फ मोनू एवं श्री देवदान सिंह कानि0 नं0 425 ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये। परिवादी श्री रिंकू द्वारा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड (SanDisk Ultra 32GB micro U1 SD HC I C10 A1 2376TXC3K0H5 BM MADE IN TAIWAN) पेश किया। परिवादी श्री रिंकू से रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप होने के बारे में पूछने पर परिवादी ने रूबरू सहपरिवादी श्री मोनू व श्री देवदान सिंह कानि0 के समक्ष बताया कि आपके निर्देशानुसार हम तीनों अपनी-अपनी मोटरसाईकिल से रवाना होकर पुरानी जैल रोड़ झालावाड़ स्थित श्रीमती सीता कुमारी कनिष्ठ सहायक के मकान से कुछ दूरी पर रूके। मैंने डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर अपने पास रखा तथा मैं व मोनू मोटर साईकिल से उतर कर श्रीमती सीता कुमारी के मकान पर पहुंचे तथा हमारे पीछे-पीछे श्री देवदान सिंह जी भी अपनी मोटर साईकिल से उतर अपनी उपस्थिति छुपाते हुए हम पर नजर रखे हुए थे। हमने श्रीमती सीता कुमारी जी का किराये के मकान के मोहल्लेवासी राहगीर व्यक्ति से पूछकर मकान पर आवाज लगाई तो श्रीमती सीता कुमारी जी ने गेट खोला तथा हमें अन्दर आने की कहा, इस पर हम मकान में प्रवेश हुए मैंने अपने मैरीज सर्टिफिकेट के सम्बंध में वार्ता की तथा रूपये सोमवार को देने को कहा तो श्रीमती सीता कुमारी जी ने कहा अभी कर दो मैं कोटा जा रही हूं। मैंने कहा अभी नहीं है, तो सीता कुमारी जी ने कहा कि आप तो मोनू जी को देना मैं इनसे ले लूंगी। इसके बाद हम वहां से रवाना होकर बाहर आये। मैंने डिजीटल टेप रिकॉर्डर बन्द कर अपने पास रखा तथा वहां से अपनी-अपनी मोटर साईकिलों से रवाना होकर एसीबी कार्यालय आ गये। हमारे बीच जो भी वार्ता हुई है, वह आप द्वारा सुपुर्द किये गये डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो गई

है। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री देवदान सिंह कानि0 व मोहम्मद शोराब उर्फ मोनू से पूछने पर उन्होने रिंकू के कथनों की ताईद की। इस पर डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को चलाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा सुना गया तो वार्ताओं में परिवादी के कथनों की पुष्टि हुई है। आरोपिया श्रीमती सीता कुमारी कनिष्ठ सहायक ने परिवादी श्री रिंकू से रिश्वत मांग के सम्बंध में अभी भी स्पष्ट वार्ता नहीं की है तथा परिवादी के फुफेरे भाई श्री मोहम्मद शोराब उर्फ मोनू से ही रिश्वत लेने की कहा है व उसका मैरिज सर्टिफिकेट भी मोनू को ही देने के लिए कहा है। इस पर परिवादी को निर्देशित किया गया कि वह अपने फुफेरे भाई श्री मोहम्मद शोराब उर्फ मोनू को साथ लेकर ही रिश्वत मांग का स्पष्ट गोपनीय सत्यापन व ट्रेप कार्यवाही करवावें। परिवादी रिंकू व सह परिवादी मोनू को अब तक की कार्यवाही के सम्बंध में गोपनीयता बरतने की हिदायत दी गई जाकर फर्द प्राप्ति डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मुर्तिब कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर परिवादी व सहपरिवादी को रूखसत किया गया। परिवादी श्री रिंकू द्वारा रिष्वत राशि मांग सत्यापन सम्बंधी रिकॉर्डेड डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड सुपुर्द शुदा को श्री भोजराज सउनि को बुलाकर सुपुर्द कर सुरक्षित मालखाना में रखने की हिदायत दी गई। दिनांक 05.08.2024 समय 10.00 एएम पर परिवादी श्री रिंकू व उसका फुफेरे भाई श्री मोहम्मद शोराब उर्फ मोनू ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये और मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया की हमने श्रीमती सीता कुमारी कनिष्ठ सहायक से मोबाईल पर वार्ता की तो उसने बताया है कि मैं बीमार हूँ और अस्पताल में भर्ती हूँ मेरे ड्रीप चढ रही है। मैं स्वस्थ्य होने के बाद ही ऑफिस आऊगी। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री रिंकू व सहपरिवादी मोहम्मद शोराब उर्फ मोनू को समझाईश कर अब तक की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में गोपनीयता बनाये रखने तथा श्रीमती सीता कुमारी कनिष्ठ सहायक द्वारा बुलाने पर रिश्वत राशि लेकर कार्यालय में उपस्थित आने की हिदायत दी जाकर रूखसत किया गया। आईन्दा परिवादी व सहपरिवादी के कार्यालय में उपस्थित आने पर अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। दिनांक 09.09.2024 समय 12.20 पीएम पर परिवादी श्री रिंकू व सहपरिवादी श्री मोहम्मद शोराब उर्फ मोनू ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये। परिवादी ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष एक लिखित प्रार्थना पत्र पेश किया कि दिनांक 02.08.2024 को मेरे द्वारा रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाने बाबत् आपके कार्यालय में प्रार्थना पत्र पेश किया गया था, कि श्रीमती सीता कुमारी कनिष्ठ सहायक नगर परिषद, झालावाड़ द्वारा मेरा मेरिज सर्टिफिकेट बनवाने हेतु 3,000 रूपये रिष्वत की मांग की जा रही है, इस पर आपने उसी दिन दिनांक 02.08.2024 को आपके एक कर्मचारी को मेरे साथ भिजवाकर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया गया था, परन्तु श्रीमती सीता कुमारी कनिष्ठ सहायक द्वारा रिश्वत मांग की स्पष्ट वार्ता नहीं करने पर आप द्वारा पुनः दिनांक 03.08.2024 को मेरे फुफेरे भाई श्री मोहम्मद शोराब उर्फ मोनू एवं मुझे आपके कर्मचारी श्री देवदान सिंह जी के साथ रिश्वत मांग सत्यापन हेतु पुनः समझाईस कर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में मेमोरी कार्ड लगाकर श्रीमती सीता कुमारी के पास उसके किराये के मकान जैल रोड़, झालावाड़ स्थित मकान पर रवाना किया था। परन्तु तब भी श्रीमती सीता कुमारी ने रिश्वत के सम्बंध में स्पष्ट वार्ता नहीं की सिर्फ हां, हूं में ही मेरे फुफेरे भाई श्री मोहम्मद शोराब उर्फ मोनू को मेरिज सर्टिफिकेट तैयार होने के बाद 3,000रूपये लेकर आने की फोन कर बताने की कहा था। इसके बाद हम दिनांक 05.08.2024 को आपके कार्यालय में आये थे और आपको बताया था कि हमने श्रीमती सीता कुमारी कनिष्ठ सहायक से मोबाईल पर वार्ता की तो उसने बताया है कि मैं बीमार हूँ और अस्पताल में भर्ती हूँ मेरे ड्रीप चढ़ रही है। मैं स्वस्थ्य होने के बाद ही ऑफिस आऊगी। इस पर आपने हमको समझाईश कर अब तक की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में गोपनीयता बनाये रखने तथा श्रीमती सीता कुमारी कनिष्ठ सहायक द्वारा बुलाने पर रिश्वत राशि लेकर कार्यालय में उपस्थित आने की समझाईस कर रवाना किया था। इसके बाद मेरे फुफेरे भाई ने श्रीमती सीता कुमारी को कई बार फोन लगाया था लेकिन उन्होने फोन अटेंड नही किया। इस पर हम नगर परिषद, झालावाड़ गये तो उनकी सीट पर कोई दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ था। हमने उससे श्रीमती सीता कुमारी जी के बारे में पूछा व हमारे काम के बारे में बताया तो उस व्यक्ति ने मेरा मेरिज सर्टिफिकेट निकालकर हमें दे दिया और श्रीमती सीता कुमारी जी के बारे में बताया कि उनको दूसरी ब्रांच में लगा दिया है। श्रीमती सीता कुमारी जी द्वारा आज तक मेरे फुफेरे भाई श्री मोहम्मद शोराब को रूपये लेने के सम्बंध में कोई फोन नहीं किया है। मुझे लगता है उन्हे किसी प्रकार से हम पर शंका हो गई है। अब वह हमसे कोई रूपये की मांग नहीं कर रही है और मेरा मेरिज सर्टिफिकेट भी मुझे मिल गया है। अब मैं ट्रेप कार्यवाही नहीं करवाना चाहता हूं। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व मजीद दरियाफ्त पर परिवादी श्री रिंकू ने प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त तथ्य सही होना तथा उस पर अपने व सहपरिवादी श्री मोहम्मद शोराब उर्फ मोनू के हस्ताक्षर होना व्यक्त किया है। प्रस्तुत प्रार्थना के अवलोकन से कार्यवाही ड्रोप करने का निर्णय लिया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। समय 12.30 पीएम पर परिवादी श्री रिंकू द्वारा दिनांक 02.08.2024 को प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही के क्रम में दिनांक 02.08.2024 व 03.08.2024 को परिवादी व सहपरिवादी से आरोपिया श्रीमती सीता कुमारी कनिष्ठ सहायक, नगर परिषद, झालावाड़ की रिश्वत मांग सत्यापन वार्ताओं के दौरान परिवादी के मेरिज सर्टिफिकेट बनाने की एवज में 3,000रूपये की मांग करना व रिश्वत राशि सहपरिवादी श्री मोहम्मद शोराब उर्फ मोनू से प्राप्त कर उसी को ही मेरिज सर्टिफिकेट देने सम्बंधी वार्ता रिश्वत मांग सत्यापन वार्ताओं में आना परिवादी श्री रिंकू द्वारा बताया गया है। अतः परिवादी व सपरिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान की मौजूदगी में डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्डड वार्ताओं को ब्यूरो कार्यालय के लेपटॉप में लिया जाकर सुना जाकर फर्द

रिश्वत मांग सत्यापन वार्ताऐं व फर्द सी0डी0 क्लोनिंग एवं जब्ती मय मैमोरी कार्ड मुर्तिब की जानी है। अतः स्वतंत्र गवाहान की तलबी हेतु कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, झालावाड़ के नाम पत्रांक एसपीएल-01 दिनांक 09.09.2024 मुर्तिब कर श्री देवदान सिंह कानि0 नं0 425 को स्वतंत्र गवाह हमराह साथ लेकर आने की हिदायत देकर कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता पीडब्लूडी, झालावाड़ के लिए रवाना किया गया। समय 12.50 पीएम पर श्री देवदान सिंह कानि0 नं0 425 हमराह स्वतंत्र गवाह श्री श्रीयांश वर्मा पुत्र स्व0 श्री प्रहलाद कुमार जाति बैरवा उम्र 25 साल निवासी सार्वजनिक निर्माण विभाग क्वार्टर नं0- 04 गोदाम की तलाई, झालावाड़ हाल वरिष्ठ सहायक, कार्यालय अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड झालावाड़ व श्री दुर्गेश पुत्र श्री गोपाल लाल जाति मीणा उम्र 31 साल निवासी डाक बंगले के पास, झालावाड़ हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत झालावाड़ को साथ लेकर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया तथा पाबन्द शुदा गवाहान का पत्रांक 724 दिनांक 09.09.2024 मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित परिवादी श्री रिंकू व सहपरिवादी श्री मोहम्मद शोराब उर्फ मोनू का दोनों स्वतंत्र गवाहान से परिचय कराया जाकर ब्यूरो कार्यालय में पेश प्रार्थना पत्रों को पढ़ाकर हस्ताक्षर करवाये गये तथा अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। समय 01.00 पीएम पर परिवादी श्री रिंकू एवं आरोपिया श्रीमती सीता कुमारी कनिष्ठ सहायक नगर परिषद, झालावाड़ के मध्य रिश्वत मांग सत्यापन के सम्बंध में दिनांक 02.08.2024 को आपस में कार्यालय नगर परिषद, झालावाड़ में हुई प्रथम वार्ता को परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान की मौजूदगी में डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड से कार्यालय के लेपटॉप में लिया जाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में श्री देवदान सिंह कानि0 नं0 425 द्वारा सुन-सुन कर ट्रांसक्रिप्ट टाईप करवाना प्रारम्भ करवाया गया। फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता-प्रथम पृथक से मुर्तिब की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी। समय 01.40 पीएम पर परिवादी श्री रिंकू व सहपरिवादी श्री मोहम्मद शोराब उर्फ मोनू एवं आरोपिया श्रीमती सीता कुमारी कनिष्ठ सहायक नगर परिषद, झालावाड़ के मध्य रिश्वत मांग सत्यापन के सम्बंध में दिनांक 03.08.2024 को आपस में पुरानी जेल रोड़ झालावाड़ स्थित आरोपिया के किराये के मकान पर में हुई द्वितीय वार्ता को परिवादी व सहपरिवादी तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान की मौजूदगी में डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड से कार्यालय के लेपटॉप में लिया जाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में श्री देवदान सिंह कानि0 नं0 425 द्वारा सुन-सुन कर ट्रांसक्रिप्ट टाईप करवाना प्रारम्भ करवाया गया। फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता-द्वितीय, पृथक से मुर्तिब की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी। समय 03.45 पीएम पर दिनांक 02.08.2024 को परिवादी श्री रिंकू व आरोपिया श्रीमती सीता कुमारी कनिष्ठ सहायक, नगर परिषद, झालावाड़ के मध्य रिश्वत की मांग से संबंधित वार्तालाप हुई थी जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप-प्रथम दिनांक 09.09.2024 को समय 01.00 पीएम पर तैयार की गई थी तथा दिनांक 03.08.2024 को परिवादी श्री रिंकू व सहपरिवादी श्री मोहम्मद शोराब उर्फ मोनू तथा आरोपिया श्रीमती सीता कुमारी कनिष्ठ सहायक, नगर परिषद, झालावाड़ के मध्य रिश्वत की मांग से संबंधित वार्तालाप हुई थी जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप-द्वितीय दिनांक 09.09.2024 को समय 01.40 पीएम पर तैयार की गई थी। उक्त दोनों वार्ताऐ कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के मैमोरी कार्ड में रिकॉर्डेड थी। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को कार्यालय लेपटॉप में लगाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में श्री देवदान सिंह कानि0 नं0 425 के द्वारा लेपटॉप में डीवीडीयां लगाकर ब्रन कराकर चार क्लोनिंग डीवीडी तैयार करवायी गयी। चारों डीवीडीयां व मेमोरी कार्ड की हेस वेल्यू निकाली गई तो समान पायी गयी। तैयार शुदा चारों डीवीडीयों में से एक डीवीडी आरोपिया श्रीमती सीता कुमारी कनिष्ठ सहायक के लिये, एक डीवीडी नमूना आवाज हेतु तथा एक डीवीडी माननीय न्यायालय हेतु कपडे़ की थेली में अलग-अलग रखकर तीन डीवीडीयों को सील मोहर की गई तथा एक डीवीडी अनुसंधान अधिकारी के सुनने हेतु तैयार कर अनशिल्ड रखा गया तथा रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता-प्रथम व रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता-द्वितीय जो डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में लगे हुए मेमोरी कार्ड (SanDisk Ultra 32GB micro U1 SD HC I C10 A1 2376TXC3K0H5 BM MADE IN TAIWAN) में रिकॉर्ड की गई थी उक्त डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से मेमोरी कार्ड को निकालकर वजह सबूत माननीय न्यायालय हेतु पृथक से एक कपड़े की थेली में रखकर शिल्डचिट किया गया। फर्द डबिंग एवं जब्ती सीडी मुर्तिब की जाकर शामिल पत्रावली की गयी। समय 04.00 पीएम पर परिवादी श्री रिंकू व सहपरिवादी श्री मोहम्मद शोराब उर्फ मोनू तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री श्रीयांश वर्मा व श्री दुर्गेश मीणा को बाद कार्यवाही रूखसत किया गया। अब तक की कार्यवाही से पाया गया कि दिनांक 02.08.2024 को परिवादी श्री रिंकू ने अपने फुफेरे भाई श्री मोहम्मद शोराब उर्फ मोनू के साथ ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ में उपस्थित होकर एक लिखित प्रार्थना पत्र रिष्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाने बाबत् पेश किया था, कि प्रार्थी की शादी दिनांक 03.03.2024 को हुई थी, जिसका मेरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए फाईल तैयार कर मैं मेरे फुफेरे भाई के साथ दिनांक 31.07.2024 को नगर परिषद, झालावाड़ में गया तो काउण्टर पर एक महिला बैठी हुई थी जिनको मैंने मेरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए मेरी फाईल दी। उन्होने मेरी फाईल लेकर 250रूपये की रसीद काटकर मुझे दी और कहा कि आपका मेरिज सर्टिफिकेट सोमवार तक तैयार हो जायेगा, उसके लिए कुछ रूपये देने होगें। इस पर मेरे फुफेरे भाई श्री मोहम्मद शोराब ने कहा कि मैं

आपको रूपये दिलवा दूंगा वह मेरे फुफेरे भाई को पहले से जानती थी। इस पर हम वहां से रवाना होकर आ गये थे। श्रीमती सीता कुमारी कनिष्ठ सहायक जो मेरे फुफेरे भाई को जानती थी, उसने अगले दिन मेरे फुफेरे भाई श्री मोहम्मद शोराब को फोन कर कहा कि श्री रिंकू के मेरिज सर्टिफिकेट के 3,000रूपये लगेगें, रूपये आप ही लेकर आना। यह बात मेरे फुफेरे भाई श्री मोहम्मद शोराब ने मुझे बतायी है। परिवादी श्री रिंकू द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र व मजमून दरियाफ्त से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) की धारा 7 की परिधि में आना पाये जाने पर उसी दिन दिनांक 02.08.2024 को रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया गया, परन्तु वार्ता में स्पष्ट मांग नहीं होने पर पुनः दिनांक 03.08.2024 को रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया गया परन्तु तब भी श्रीमती सीता कुमारी ने रिश्वत के सम्बंध में स्पष्ट वार्ता नहीं की सिर्फ हां, हूं में ही परिवादी के फुफेरे भाई श्री मोहम्मद शोराब उर्फ मोनू को मेरिज सर्टिफिकेट तैयार होने के बाद 3,000रूपये लेकर आने की फोन कर बताने की कहा था। इसके बाद दिनांक 05.08.2024 को परिवादी व सहपरिवादी कार्यालय में उपस्थित आये तथा बताया कि हमने श्रीमती सीता कुमारी कनिष्ठ सहायक से मोबाईल पर वार्ता की तो उसने बताया है कि मैं बीमार हूँ और अस्पताल में भर्ती हूँ मेरे ड्रीप चढ रही है। मैं स्वस्थ्य होने के बाद ही ऑफिस आऊगी। आज दिनांक 09.09.2024 को परिवादी श्री रिंकू व सहपरिवादी श्री मोहम्मद शोराब उर्फ मोनू कार्यालय में उपस्थित होकर बताया कि श्रीमती सीता कुमारी को कई बार फोन लगाया था लेकिन उसने फोन अटेंड नही किया। इस पर हम नगर परिषद, झालावाड़ गये तो उनकी सीट पर कोई दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ था। हमने उससे श्रीमती सीता कुमारी जी के बारे में पूछा व हमारे काम के बारे में बताया तो उस व्यक्ति ने मेरा मेरिज सर्टिफिकेट निकालकर हमें दे दिया और श्रीमती सीता कुमारी जी के बारे में बताया कि उनको दूसरी ब्रांच में लगा दिया है। परिवादी ने बताया कि श्रीमती सीता कुमारी जी द्वारा आज तक मेरे फुफेरे भाई श्री मोहम्मद शोराब को रूपये लेने के सम्बंध में कोई फोन नहीं किया है। मुझे लगता है उन्हे किसी प्रकार से हम पर शंका हो गई है। अब वह हमसे कोई रूपये की मांग नहीं कर रही है और मेरा मेरिज सर्टिफिकेट भी मुझे मिल गया है। अब मैं ट्रेप कार्यवाही नहीं करवाना चाहता हूं। इस पर दो स्वतंत्र गवाहान तलब कर परिवादी, सहपरिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता-प्रथम व द्वितीय की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार कर मेमोरी कार्ड से वार्ताओं को जरिये लेपटॉप ब्रन कर डीवीडीयां तैयार की गई। बाद कार्यवाही परिवादी, सहपरिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान को रूखसत किया गया। आरोपिया श्रीमती सीता कुमारी कनिष्ठ सहायक नगर परिषद, झालावाड़ द्वारा परिवादी श्री रिंकू से उसका मेरिज सर्टिफिकेट बनाने के नाम पर 3,000रूपये रिश्वत राशि मांगी गई थी, जो फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता-प्रथम व द्वितीय से साबित होती है। परन्तु किसी प्रकार आरोपिया को परिवादी व सहपरिवादी पर शक हो जाने के कारण रिश्वत राशि 3,000रूपये प्राप्त नहीं की गई। अतः आरोपिया श्रीमती सीता कुमारी पुत्री श्री पूरणमल पत्नि स्व. श्री चन्द्रशेखर संगत निवासी कुम्हार मोहल्ला पी.जी. कॉलेज के पीछे झालावाङ हाल कनिष्ठ सहायक नगर परिषद, झालावाड़ के विरूद्ध जुर्म अंर्तगत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध घटित होना पाया जाने पर उक्त आरोपिया के विरूद्ध उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की जाकर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक सी0पी0एस0 भ्रनिब्यूरो जयपुर को प्रेषित है। भवदीय (जगराम मीना) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झालावाड़।.........कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री जगराम मीना,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,झालावाड़ ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अर्न्तगत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) में आरोपिया श्रीमती सीता कुमारी पुत्री श्री पूरणमल पत्नि स्व. श्री चन्द्रशेखर संगत निवासी कुम्हार मोहल्ला पी.जी. कॉलेज के पीछे झालावाङ हाल कनिष्ठ सहायक नगर परिषद, झालावाड़ के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री देशराज, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,कोटा को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 84 पर अंकित है।(ज्ञान सिंह चौधरी) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1399-1402 दिनांक 08 -11-2024 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:-1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा। 2-आयुक्त, नगर परिषद, झालावाड । 3-उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा। 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झालावाड़ । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.):** DESHRAJ GURJAR **Rank (पद):** निरीक्षक
(जाँच अधिकारी का नाम):

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to**
(जाँच के लिए) :
or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant**
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh Choudhary
Location: Rajasthan,I[illegible]
Date: 0[illegible]1/2024 1[illegible]0

15. **Date and time of dispatch to the court**
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Female	19/10/1990				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)